

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०

जी-1/138, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर

वर्ष 2016-17 की अवधि के लिये LED बोर्ड, ग्लोसाइन बोर्ड, सनबोर्ड इत्यादि प्रचार सामग्री कार्य के लिए एमपेनलमैन्ट हेतु प्रस्ताव

मुद्रणालय को वर्ष 2016-17 की अवधि (अनुबंध तिथि से 31.03.2017 तक) के लिए LED बोर्ड, ग्लोसाइन बोर्ड, सनबोर्ड इत्यादि प्रचार सामग्री का कार्य करने हेतु प्रतिष्ठित रजिस्टर्ड फर्मों एवं वास्तविक कार्य करने वाली फर्मों का एमपेनलमैन्ट करने हेतु सीलबंद प्रस्ताव दिनांक 07.04.2016 को दोपहर 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। प्रस्ताव मय मूल प्रपत्र, शर्तें (परिशिष्ट "अ" व "स") भौतिक रूप से उक्त तिथि व समय पर प्रस्तुत किया जाना है। प्रस्तावक फर्म का जयपुर में कार्यालय/गोदाम/कार्यशाला होना अनिवार्य है।

प्रस्ताव मोहरबन्द लिफाफे में भेजे जाने चाहिये जिसमें तकनीकी सूचना एवं अन्य सूचना का विवरण लिफाफे पर "वर्ष 2016-17 की अवधि के लिए LED बोर्ड, ग्लोसाइन बोर्ड, सनबोर्ड इत्यादि प्रचार सामग्री का कार्य के एमपेनलमैन्ट हेतु" प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में भरकर ठीक प्रकार से लिफाफे सीलबंद कर उचित रूप से प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०, जी-1/138, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर को सम्बोधित करते हुये प्रस्तुत किया जाना चाहिएँ। सफल प्रस्तावक का एमपेनलमैन्ट किया जायेगा। प्रस्ताव प्रपत्र एवं शर्तें इस मुद्रणालय की वेबसाईट www.thecooperativepress.com व sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है जिसका अवलोकन किया जा सकता है। प्रस्ताव प्रपत्र एवं शर्तें इस कार्यालय में रु. 500/- नकद/डी.डी. भेजकर किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। विलम्ब से प्राप्त प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। प्राप्त प्रस्ताव के लिफाफों को उसी दिन (अंतिम तिथि को) अपरान्ह 3.00 बजे उपस्थित प्रस्तावको के समक्ष खोला जावेगा। किसी भी प्रस्ताव या उसके किसी भाग को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार मुद्रणालय प्रशासन को होगा तथा इस संबंध में मुद्रणालय का निर्णय ही अन्तिम व मान्य होगा। प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने का तात्पर्य यह होगा कि समस्त शर्तें स्वीकार हैं। प्रस्ताव के साथ दो प्रतिशत प्रतिभूति राशि प्रपत्र में अंकितानुसार नकद/बैंक डी.डी. के रूप में जमा करानी होगी। प्रतिभूति राशि के अभाव में प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। उद्योग विभाग में पंजीकृत लघु उद्योग इकाई को अमानत राशि में लघु उद्योग संबंधी छूट लेने हेतु जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी लघु उद्योग संबंधी प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति बिड के साथ संलग्न करनी होगी। इस प्रकार की इकाई को बताई गई अनुमानित राशि का आधा प्रतिशत प्रतिभूति राशि मुद्रणालय में नकद/बैंक डी.डी. द्वारा जमा करानी होगी इसके अभाव में लघु उद्योग संबंधी छूट प्रदान नहीं की जावेगी। सफल प्रस्तावक को सामान के मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी तथा रजिस्टर्ड लघु उद्योग इकाई को सामान के मूल्य के एक प्रतिशत के बराबर नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा कराना होगा तथा लिखित करार (अनुबन्ध) करना होगा।

अनुबंध की वैधता अनुबंध होने की तिथि से 31.03.2017 तक तक मान्य रहेगी। उक्त अवधि को आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में मुद्रणालय का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा। बढ़ाई गई

अवधि के लिये अलग से करार नहीं किया जायेगा। किन्तु मुद्रणालय प्रशासन को अनुबंध अवधि समाप्त होने से पूर्व अनुबंध को खत्म करने का अधिकार होगा। इसमें किसी भी तरह का विवाद स्वीकार्य नहीं होगा। निविदा एवं संविदा की शर्तें परिशिष्ट "स" संलग्न है।

संलग्न : निविदा प्रपत्र एवं शर्तें

प्रबन्ध निदेशक

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०,
जी-1/138, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर

वर्ष 2016-17 की अवधि के लिये LED बोर्ड, ग्लोसाइन बोर्ड, सनबोर्ड इत्यादि प्रचार सामग्री कार्य के ऐमपेनलमैन्ट हेतु प्रस्ताव

1. प्रस्ताव प्रपत्र मूल्य 500.00 रुपये
2. प्रस्ताव प्राप्ति की दिनांक 07.04.2016 को दोपहर 2.00 बजे तक
3. प्रस्ताव बिड खोलने की दिनांक 07.04.2016 को अपरान्ह 3.00 बजे

1. प्रस्तावक का नाम व पूर्ण पता.....

प्रस्तावक फर्म का स्थानीय स्तर पर कार्यालय/गोदाम/कार्यशाला का पूर्ण पता

फोन नं.ई-मेलमोबाइल नं.

1. प्रस्ताव प्राप्तकर्ता प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०, जयपुर

1	प्रतिभूति – अनुमानित राशि 20.00 लाख रुपये का 2 प्रतिशत (चालीस हजार रुपयें)	डी.डी. संख्या/नकद दि. राशि
2	अमानत राशि में लघु उद्योग संबंधित छूट लेने हेतु जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी लघु उद्योग संबंधी प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ प्रस्तुत है। सूचना में बताई गई अनुमानित राशि का आधा प्रतिशत अमानत राशि मुद्रणालय में जमा करा दी गयी है (ड्राफ्ट संलग्न है)।	डी.डी. संख्या/नकद दि. राशि
3	कार्य का नाम जिसके लिए प्रस्तावना की गई है (पूर्ण विवरण संलग्न करें)	
4	वैट रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न है।	टिन नं.
5	प्रस्तावक के कार्यालय, गोदाम एवं कार्यशाला का पूर्ण पता	
6	प्रस्तावक के पंजीकरण के प्रमाण पत्र की पैन नम्बर संलग्न है।	पैन नं.
7	वैट की निर्धारित दर	
8	प्रस्तावक मालिक/साझेदार का नाम व पूर्ण विवरण	

प्रस्तावक द्वारा घोषणा पत्र

मेरे/हमारे द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव संख्या दिनांक के अन्तर्गत राजस्थान लोक उपापन मे पाददर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 7 के अन्तर्गत एतद् घोषणा करता हूँ कि :-

- (1) यह कि मुद्रणालय द्वारा उक्त प्रस्ताव से सम्बन्धित समस्त प्रकार की व्यावसायिक तकनीकी, आर्थिक एवं प्रबन्धकीय संसाधन आदि मेरे/हमारे पास उपलब्ध है।
- (2) यह कि मैं/हम केन्द्र और राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा किसी भी प्रकार के देय करो के लिये बाध्यकारी रहूँगा/रहेगें।
- (3) यह कि हम/मैं किसी न्यायालय अथवा न्यायिक अधिकारी, आदाता द्वारा दिवालिया आदि घोषित नहीं हूँ/है और न ही उक्त कारणों से किसी प्रकार की कोई कार्यवाही विचाराधीन है।
- (4) यह कि विगत 3 वर्षों में मैं/हम और हमारे निदेशक व अधिकारियों में से कोई व्यावसायिक गतिविधि के कारण किसी आपराधिक गतिविधि में सजायापता नहीं है और ना ही किसी प्रकार के गलत तथ्यों व झूठी घोषणाओं के कारण नियोग्य किये गये है।
- (5) यह कि मेरे/हमारे द्वारा प्रस्ताव प्रपत्र ध्यानपूर्वक पढ़ लिया गया है और मैं/हम इसकी शर्तों/नियमों से पूर्णतया सहमत हूँ/है।
- (6) यह कि मैं/हम उक्त अधिनियम, नियम व प्रस्ताव शर्तों से विपरीत कोई धारणा नहीं रखते है।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर प्रस्तावक

नाम.....

पद.....

पता.....

.....

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0, जयपुर

LED बोर्ड, ग्लोसाइन बोर्ड, सनबोर्ड इत्यादि प्रचार सामग्री कार्य के एमपेनलमैन्ट हेतु प्रस्ताव एवं शर्तें

सूचना : प्रस्तावक को प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व इन शर्तों को बहुत ध्यानपूर्वक पढना चाहिए।

1. मुद्रणालय को वर्ष 2016-17 की अवधि (अनुबंध तिथि से 31.03.2017 तक) के लिये LED बोर्ड, ग्लोसाइन बोर्ड, सनबोर्ड इत्यादि प्रचार सामग्री कार्य के एमपेनलमैन्ट हेतु प्रतिष्ठित फर्मों से प्रस्ताव बंद लिफाफे में हस्ताक्षर युक्त दिनांक 07.04.2016 को दोपहर 2 बजे तक प्रस्तुत किये जायेंगे (1) प्रस्तावक फर्म का जयपुर में कार्यालय/ गोदाम/कार्यशाला होना अनिवार्य है।
2. प्रस्ताव को उसी दिन दोपहर 3 बजे खोला जावेगा। प्रस्ताव के योग्य पाये जाने पर ही फर्म का एमपेनलमैन्ट किया जायेगा।
3. विलम्ब से प्राप्त प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
4. प्रस्ताव केवल उन्हीं फर्मों/व्यापारियों द्वारा दी जानी चाहिये, जो वास्तविक कार्य कर रह हो, निर्माता हो अथवा संबंधित सामग्री के लिए रजिस्टर्ड/अनुमोदित वितरक हो या वास्तव में उस कार्य करने वाला हो।
5. आपूर्ति किये जाने वाला माल निर्धारित विवरणों स्पेशिफिकेशन के अनुसार एवं अनुमोदित स्टेण्डर्ड सैम्पल से मिलता हुआ सर्वोत्तम किस्म का होगा, अन्यथा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
6. फर्म आवंटित आदेश को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं देगा और न ही उससे सप्लाई करवायेगा।
7. संस्था को माल के निरीक्षण करने तथा गुणवत्ता/मेक आदि के बारे में जांच करने की शक्ति रहेगी।
8. प्रस्तावक अपने कार्यालय, गोदाम व कार्यशाला प्रांगण का पूर्ण पता यहां देना होगा। जहां जाकर निरीक्षण किया जा सकेगा तथा साथ ही उस व्यक्ति का पूरा नाम तथा पता भी देना चाहिये, जिससे इस प्रयोजन हेतु सम्पर्क स्थापित किया जा सके।
9. यदि अनुमोदित गुणवत्ता, मेक या आकार से भिन्न माल सप्लाई किया जाता है तो उसको अस्वीकार कर दिया जावेगा तथा उसको बिना अतिरिक्त मूल्य के एक निश्चित अवधि के भीतर वितरक द्वारा बदलना होगा।
10. सभी कथित दरें एफ. ओ. आर. मुद्रणालय परिसर मालवीय नगर, जयपुर होगी, जिसका कोई कार्टेज देय नहीं होगा।
11. प्रस्ताव देने वाली फर्म जिसकी निविदा स्वीकृत की जाती है, आदेश में अंकित समय की अवधि में माल वितरण करने के लिए बाध्य होगी।
12. आपूर्ति का आदेश किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।
13. प्रस्ताव में कोई भी अभिवृद्धि (एडीशन) एवं परिवर्तन नहीं किये जाने चाहिए। कोई भी ओवरराइटिंग नहीं की जानी चाहिए।
14. प्रस्तावक को प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ व अन्त में प्रस्ताव एवं अनुबन्ध की समस्त शर्तों को मानने के प्रमाण में हस्ताक्षर करने होंगे जो कि अनुबंध का भाग होगा।

15. प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय नियमानुसार दो प्रतिशत प्रतिभूति राशि कि रूप में डीडी द्वारा जमा करानी होगी। इसके बिना प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा। प्रतिभूति राशि राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0, जयपुर के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति राशि जिस फर्म स्वीकार नहीं होगा, उन्हें अंतिम स्वीकृति होने से एक माह में लौटा दी जावेगी एवं जिन प्रस्तावको के प्रस्ताव स्वीकार किये जायेंगे। उनके मामले में इस राशि को जमानत (सिक्यूरिटी) के रूप में समायोजन किया जावेगा।
16. पूर्व में मुद्रणालय में जमा अमानत/सिक्यूरिटी राशि का नियमानुसार जमा कराई जाने वाली राशि में समायोजन नहीं होगा।
17. उद्योग विभाग में पंजीकृत लघु उद्योग इकाई को अमानत राशि में लघु उद्योग संबंधी छूट लेने हेतु निदेशक, उद्योग विभाग द्वारा जारी किये गये लघु उद्योग इकाईयों के पंजीयन पत्र की मूल प्रति स्वप्रमाणित फोटो प्रति संलग्न की जायेगी। इस प्रकार की इकाई को सूचना में बताई गई अनुमानित राशि का आधा प्रतिशत प्रतिभूति मुद्रणालय में डीडी द्वारा जमा करानी होगी। इसके अभाव में लघु उद्योग संबंधी छूट प्रदान नहीं की जावेगी एवं प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
18. सफल प्रस्तावक को निर्धारित प्रपत्र में पन्द्रह दिवस में एक अनुबन्ध करना होगा तथा संविदा की शर्तों को भली प्रकार से निभाने के लिए नियमानुसार पांच प्रतिशत सिक्यूरिटी के रूप में सिक्यूरिटी राशि जमा करानी होगी तथा रजिस्टर्ड लघु उद्योग इकाई को नियमानुसार एक प्रतिशत सिक्यूरिटी के रूप में सिक्यूरिटी राशि जमा करानी होगी। सहमत हुए संविदा का कार्य पूर्ण होने की तारीख से दो माह के बाद विवाद न होने की स्थिति में सिक्यूरिटी राशि लौटा दी जावेगी। ऐसी सिक्यूरिटी राशि पर मुद्रणालय द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा। अनुबन्ध को पूरा करने एवं उस पर स्टाम्प आदि का जो व्यय होगा वह बोलीदाता को वहन करना पडेगा। क्रयकर्ता अधिकारी को निःशुल्क अनुबन्ध की एक स्टाम्प लगी हुई मूल प्रति दी जावेगी। अनुबन्ध के अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
19. फर्म को भुगतान करने में (राशि के प्रेषण) जो भी अतिरिक्त व्यय होगा वह अनुमोदित फर्म द्वारा वहन किया जावेगा।
20. यदि अनुमोदित फर्म निर्धारित विशिष्ट विवरण के अनुसार कार्य करने में असफल हो जाता है तो मुद्रणालय अन्य प्रकार से व्यवस्था करने को स्वतंत्र होगा तथा जिसमें होने वाली क्षतिपूर्ति बोलीदाता फर्म से की जावेगी। मुद्रणालय अनुमोदित फर्म द्वारा आदेशित कार्य नहीं किये गये या छोड़े गये या वितरित रूप से शिकायत के माल को सप्लाई करने के लिए लिखित में सात दिवस को नोटिस दे सकता है एवं बाद उस नोटिस की तामील होने की तारीख से सात दिवस के भीतर अनुमोदित मुद्रक पालना करने में असफल रहता है, तो ऐसे मामलों में यदि मुद्रणालय उचित समझता है तो उसके लिए उस सुरक्षित धन राशि को रोकना न्यायोचित होगा एवं वह जो भी सामान जो अनुमोदित फर्म के प्रति बकाया होगा उसे खरीदने के लिए अन्य व्यवस्था कर सकेगा तथा जो भी किसी अन्य अधिकरण के जरिये माल के वितरण करने की व्यवस्था करने में मुद्रणालय को अधिक व्यय वहन करना पडेगा, तो वह उसकी सिक्यूरिटी राशि में से पूरा किया जावेगा।
21. (1) सामग्री निश्चित किये गये स्थान पर अच्छी दशा में तथा पूर्ण मात्रा में सम्भलवाया जायेगा। यदि अनुमोदित फर्म चाहती हो तो माल की चोरी होने, आग, बाढ एवं समय के खराब होने से या अन्य प्रकार से बचने के लिए माल का बीमा करा सकता है जिसका व्यय स्वयं फर्म को वहन करना पडेगा।

- (2) अविवादित स्थिति में सामग्री का भुगतान बिल प्राप्ति के एक माह में किया जावेगा। विवादास्पद सामग्री के मामले में निपटारा होने पर बिल का भुगतान किया जावेगा।
- (3) यदि परस्पर समझौता हो जाये तो निविदा की मान्यता अवधि में विस्तार किया जा सकता है।
- (4) प्रस्तावक या उसके प्रतिनिधियों की ओर से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकृत करने के लिए प्रयास करने पर अयोग्यता माना जावेगा।
22. मुद्रणालय किसी भी प्रस्ताव को स्वीकृत करने/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। यह आवश्यक नहीं है कि वह न्यूनतम प्रस्ताव को ही स्वीकार करें। वह किसी भी प्रस्ताव के किसी भाग को उसके कारण बतलाये बिना रद्द कर सकता है।
23. प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाली फर्म के लिए बिक्री कर (वैट) रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र की प्रति निविदा के साथ आनलाईन करना होगा।
24. प्रस्तावक द्वारा संस्था को विलम्ब से आपूर्ति करने पर नियमानुसार शास्ती लगाने का पूर्ण अधिकार संस्था प्रशासन को होगा जिसकी कटौती प्रस्तावक फर्म के पूर्व बिलों में से अथवा सिक्यूरिटी राशि में से काटकर समायोजित कर ली जावेगी।
25. प्रस्तावक से उत्पन्न होने वाली सभी विवादों एवं अनुबंध के निर्वाचन से सम्बन्धित सभी विवादों के निपटारे के लिये राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के तहत उपापन से सम्बन्धित विवादास्पद प्रकरण के सम्बन्ध में अपील की सुनवाई का अधिकार प्रथम अपील प्राधिकारी मुद्रणालय के प्रशासक/संचालक मंडल एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर में निहित है।
26. प्रस्ताव अनुबन्ध की वैधता अनुबन्ध होने की तिथि से 31.03.2017 तक लिये मान्य होगा। आवश्यकता पड़ने पर नियमों के तहत आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकेगा, एवं मुद्रणालय प्रशासन को अनुबंध अवधि से पूर्व अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा। इसमें किसी भी प्रकार का विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
27. प्रस्ताव स्वीकृत करने/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रशासक, सहकारी मुद्रणालय को होगा।
28. आयकर/बिक्रीकर चुकती प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
29. प्रस्तावक/फर्म को पहचान हेतु फोटो युक्त आई डी प्रूफ प्रस्तुत करना है।
30. मुद्रणालय के राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 में दशार्थ गये नियमों के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्यवाही का अधिकार होगा।
31. सशर्त प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- 32.

प्रबन्ध निदेशक

हमने उक्त सभी शर्तें पूर्ण रूप से पढ़ ली हैं तथा हम उक्त सभी शर्तों को मानने के लिए बाध्यकारी होंगे।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर